प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –197/2023
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राधेराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. चावली देवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 20.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 15/13 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

वाद भूमि का वादी के जीवनकाल में बाहमी बंटवारा हो चुका था उक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद की समझौता के अनुसार वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार था परन्तु प्रतिवादीगण ने चतुरता व चलाकी से अपने नाम गलत दर्ज करवा ली जिसे कलमजन करवाकर वादी स्वयं अकेले के नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार वाद भूमि में प्रतिवादीगण का जो भी हक हिस्सा था वो वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अब प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है जबकि प्रतिवादी स0 1 के पास रोही मौजा मिठनपुरा हरियाणा में जो वादी व प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 के पिता व प्रतिवादीया स0 2 के पति काशीराम के नाम दर्ज भूमि है का प्रतिवादी स0 2 खातेदार काश्तकार रहेगा। मुताबिक समझौता वादी वाद भूमि का अकेला खातेदार है। उपरोक्तानुसार वादी घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा [illegible] वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:28 IST
Reason: SelfAttested

ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 15/13 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 15/13 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –197/2023

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राधेराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. चावली देवी पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. गिरदावरी पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 197 सन 2023 निर्णय दिनांक 20.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए थालड़का तहसील नोहर के खाता स0 15/13 की कुल 2.7830 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 20/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष –2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:28 IST
Reason: SelfAttested